



न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 12/2022

- 1 धर्मपाल पुत्र सिंहंराम।
- 2 प्यारेलाल पुत्र सिंहंराम।
- 3 रोहिताश पुत्र सिंहंराम समस्त जाति जाट निवासीगण देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।


अपीलांत

बनाम

- 1 ईश्वरसिंह पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
- 2 जिला कलेक्टर झुंझुनू।
- 3 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 14.12.21 अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुंझुनू मुकदमा उनवानी ईश्वरसिंह बनाम जिला कलेक्टर मुकदमा नम्बर 15/2018 दावा बाबत रिकार्ड दुरुस्ती।


भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुंझुनू)



अपील संख्या 68/2022

- 1 बलबीर सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जाट
- 2 आशीष पुत्र बलबीर सिंह जाति जाट।
- 3 दिनेश पुत्र बसन्तलाल जाति भार्गव।
- 4 जयवीर सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जाट।
- 5 ओमप्रकाश पुत्र दलीप सिंह जाति जाट।
- 6 दलवीर सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जाट।
- 7 होशियार सिंह पुत्र नानगराम जाति जाट निवासीगण देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
- 8 धनपत बावरिया पुत्र सीगराम बावरिया जाति बावरिया निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांत

बनाम

- 1 ईश्वर सिंह पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
- 2 जिला कलेक्टर झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
- 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड
 अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला
 झुंझुनू दावा उनवानी ईश्वर सिंह बनाम राजस्थान सरकार
 राजस्व वाद संख्या 15/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2021

AdL
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 अपील अधिकारी



उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री मो० फारूख खान, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट
4. श्री विरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता

—निर्णय—

दिनांक:- 30.1.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 15/2018 में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों के तथ्य समान होने एवं एक ही निर्णय के विरुद्ध होने से दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक-पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट नं. 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत रिकार्ड दुरुस्ती का इस आशय का पेश किया कि ग्राम देवलावास तहसील बुहाना में जमीन गत खसरा नम्बर 377 रकबा 68 बीघा 15 बिस्वा जमीन थी जो पशुओं को चराने एवं अन्य प्रयोजन में लाई जाती थी। जो जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2018 में किस्म जोहड़ दर्ज है। बाद में गत खसरा नम्बर 377 दो खसरा नम्बर 377 व 377/1 बनाये गये। दौराने सेटलमेन्ट गत खसरा नम्बर 377 के हाल खसरा नम्बर 143 व गत खसरा नम्बर 377/1 के हाल खसरा नम्बर 94 बनाये गये। रेस्पोंडेंट नम्बर 1 ने आगे लिखा कि भू प्रबन्ध अधिकारियों ने दौराने भू प्रबन्ध गत खसरा नम्बर 377/1 से बने हाल खसरा नम्बर 94 की किस्म गैर मुमकीन

AdL

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
अपील अधिकारी



जोहड़ दर्ज कर दी जबकि गत खसरा नम्बर 377 से बने हाल खसरा नम्बर 143 की किस्म बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के किस्म और मुमकीन आबादी दर्ज करदी इस कारण जमीन हाल खसरा नम्बर 143 रकबा 4.18 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकीन आबादी की बजाय गैर मुमकीन जोहड़ दर्ज की जावे। विचारण न्यायालय ने उक्त आशय के वाद पत्र को दिनांक 14.12.2021 को डिकी कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 143 में घनी आबादी बसी हुई है। अपीलांट के पास ठिकाना, तहसीलदार के पट्टे दिये हुये है। वादी को वाद प्रस्तुत करने का लोकस स्टेडर्ड नहीं था। विवादित भूमि में से 2 हैक्टेयर भूमि सक्षम स्तर से आबादी विस्तार हेतु 1982 में आवंटित की गई थी। मौके पर सघन आबादी होने की पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट से भी होती है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांट मौके पर काबिज है, आबाद है अतः प्रभावित पक्षकार है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 एवं अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि संवत् 2014 से 2018 में गैर मुमकिन जोहड़ थी। भू प्रबन्ध विभाग ने विधि विरुद्ध रूप से किस्म परिवर्तन कर दिया इसकी पुष्टि तहसीलदार के जवाब से होती है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है। इसके कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार भी नहीं है। अपील खारिज की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण रिमांड किये जाने पर सहमति जाहिर की।

AdL

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प इन्ड्रान)



हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है खसरा नम्बर 143 में घनी आबादी बसी हुई है। अपीलांट के पास ठिकाना, तहसीलदार के पट्टे दिये हुये है। वादी को वाद प्रस्तुत करने का लोकस स्टेडर्ड नहीं था। विवादित भूमि में से 2 हैक्टेयर भूमि सक्षम स्तर से आबादी विस्तार हेतु 1982 में आंवटित की गई थी। मौके पर सघन आबादी होने की पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट से भी होती है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.02.2024 को उपस्थिति दें।

निर्णय आज दिनांक 30.1.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सजिस्ट्र अपील अधिकारी,
सीकर